राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 794 / 2024

सोमवीर सिंह पूनियां —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, चूरू।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार स्वामी, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति एल.डी.सी. के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के तहत् हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.11.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान कर तहसील तारानगर, जिला चूरू में वर्तमान पदस्थापित स्थान पर लगाया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.11.2022 के द्वारा हाकीम अली, सहायक प्रशासनिक अधिकारी का स्थानान्तरण तहसील तारानगर से तहसील राजगढ़, चूरू में किया गया, जिसको चुनौती देते हुए माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 5880 / 2022 हाकिम अली बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.11.2022 किया गया, जिसमें हाकीम अली को सेवानिवृत्ति में मात्र 05 माह शेष होने के कारण माननीय अधिकरण द्वारा स्थगन प्रदान किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.07.2023 (अनुलग्नक–9) के द्वारा श्री हाकीम अली सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद से दिनांक 31.07.2023 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.01.2024 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यालय निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, एस.डी.एम., तारानगर, जिला चूरू में प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.02.2024 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी

प्रतिनियुक्ति पर तहसील कार्यालय, सिद्धमुख में लगाया गया। फिर से प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 16.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर प्रत्यर्थी संख्या 3 के आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का तहसील सिद्धमुख में अपनी प्रतिनियुक्ति दिखाते हुए तहसील तारानगर में स्थानान्तरण कर दिया, जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 21.02.2024 को कार्यभार ग्रहण कर लिया (अनुलग्नक–6, 7 व 8)। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यालय तहसील तारानगर से तहसील कार्यालय तारानगर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी का पद रिक्त न होने के कारण आलेख शाखा, जिला कलक्ट्रेट चूरू में लगाया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावें एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय तहसील तारानगर में निरन्तर कार्य करने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील को ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय तहसील तारानगर, चूरू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यालय तहसील तारानगर से तहसील कार्यालय तारानगर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी का पद रिक्त न होने के कारण आलेख शाखा, जिला कलक्ट्रेट चूरू में प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to*

be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

इस प्रकार आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य